2012 का विधेयक संख्यांकः 26

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012

खण्डों का क्रम

खण्ड:

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय–2
हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना

3. हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना ।
4. लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों की नियुक्ति ।
5. जॉच पड़ताल समिति ।
6. चयन समिति द्वारा लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों का चयन ।
7. लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों की पदावधि ।
8. लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों का वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ।
9. लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों के पदधारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात् नियोजन पर निर्बन्धन ।
10. हिमाचल लोकायुक्त का सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द ।

अध्याय–3
हिमाचल लोकायुक्त की शक्तियां और कृत्य।

11. हिमाचल लोकायुक्त की शक्तियॉ और कृत्य ।

अध्याय–4

हिमाचल लोकायुक्त द्वारा जॉच और अन्वेषण

12. हिमाचल लोकायुक्त द्वारा जॉच ।
13. शिकायतें और प्रारम्भिक जॉच तथा अन्वेषण ।
14. सुने जाने के लिए संभाव्यतः प्रतिकूलतः प्रभावित व्यक्ति ।
15. हिमाचल लोकायुक्त, किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी सूचना आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

अध्याय–5
हिमाचल लोकायुक्त का अन्वेषण विंग(खण्ड)

16. अन्वेषण विंग (खण्ड) ।
17. हिमाचल लोकायुक्त पुलिस स्टेशन ।
18. शिकायत प्राधिकरण ।

अध्याय–6
विशेष न्यायालय

19. विशेष न्यायालयों का गठन ।
20. कतिपय मामलों में अनुरोध पत्र ।

अध्याय–7
हिमाचल लोकायुक्त का अभियोजन विंग(खण्ड)

21. प्रवर्तन विंग (खण्ड) ।

अध्याय–8
सिविल न्यायालय और हिमाचल लोकायुक्त की अन्य शक्तियॉ

22. हिमाचल लोकायुक्त के पास कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

अध्याय–9

हिमाचल लोकायुक्त की कार्यवाही

23. हिमाचल लोकायुक्त की कार्यवाहियॉ ।

अध्याय–10

हिमाचल लोकायुक्त की जवाबदेही

24. लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों का हटाया जाना ।
25. हिमाचल लोकायुक्त का बजट ।
26. हिमाचल लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्टें ।

अध्याय–11

उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जॉच और अभियोजन

27. उच्च कत्यकारियों के विरुद्ध जॉच ।
28. शिकायतकर्ता की मृत्यु की दशा में जॉच का जारी रखना ।
29. शिकायत का वापिस लेना ।

अध्याय–12

नियम व विनियम बनाने की शक्तियॉ

30. नियम बनाने की शक्ति ।
31. विनियमन बनाने की शक्ति।

अध्याय–13

प्रकीर्ण

32. अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर्स) ।

33. कठिनाई दूर करने की शक्ति ।
34. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
35. हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त, उप–लोकायुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
36. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
37. इस अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना ।
38. प्रत्यायोजन की शक्ति ।
39. निरसन और व्यावृतियॉ ।

अनुसूची

2012 का विधेयक संख्यांकः 26

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012

लोक सेवकों तथा लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों और अभिकथनों की जॉच करने के लिए लोकायुक्त के एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2012 है । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है और

	उन लोक सेवकों को भी लागू होता है जो राज्य को कार्यकलापों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर तैनात हैं । (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
परिभाषाएं	**2[ण] ;1द्ध** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– **(क)** ष्अभिकथनष् से किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में ऐसी कोई अभिपुष्टि अभिप्रेत है कि – ;पद्ध ऐसे लोक सेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित अभिलाभ या अनुग्रह प्राप्त करने या अनुचित या भ्रष्ट तरीकों (हेतु) द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने या कठिनाई में डालने के लिए अपने पद का जानबूझ कर या आशयित दुरूपयोग किया है, जिससे ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी हैसियत से सत्यनिष्ठा के अभाव में राज्य या समाज (लोगों) के किसी व्यक्ति या वर्ग को हानि पहुंची हैय या ;पपद्ध ऐसा लोक सेवक भ्रष्टाचार का दोषी है;

	या ;पपपद्ध ऐसे लोक सेवक के कब्जे में धन सम्बन्धी ऐसे संसाधन हैं या ऐसी सम्पत्ति है, जो उसकी आय के ज्ञात स्त्रोत के अनुपात में नहीं हैं और ऐसी सम्पत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की गई हैय **स्पष्टीकरणः– इस उप खण्ड के प्रयोजन के लिए** ष्कुटुम्बष् से दतक पुत्रों और पुत्रियों सहित पति, पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्रियां और अव्यस्क आश्रित बच्चे अभिप्रेत हैं । **(ख)** षशिकायतष् से ऐसे प्ररूप, जैसा विहित किया जाए, में की गई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें अभिकथित हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1988 या भारतीय दण्ड संहिता के अघ्याय 9 के अधीन दण्डनीय अपराध किया हैय **(ग)** लोक सेवक के सम्बन्ध में ष्सक्षम प्राधिकारीष् से अभिप्राय है–

	;पद्ध मुख्य मन्त्री की दशा में, राज्य की विधानसभाय ;पपद्ध मन्त्री परिषद के सदस्यों, राज्य मन्त्री, उप–मन्त्री, मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव की दशा में, मुख्य मन्त्रीय ;पपपद्ध राज्य मन्त्री, उप–मन्त्री, मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के अन्य सदस्यों की दशा में, सदन का अध्यक्षय ;पअद्ध राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधिक और राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति की दशा में, कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल; ;अद्ध अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या विभागाध्यक्ष की दशा में, मुख्यमन्त्री ; ;अपद्ध अधीनस्थ कर्मचारिवृंद सहित, न्यायिक सेवाओं के सदस्य की दशा, में उच्च न्यायालय ; ;अपपद्ध राज्य सरकार के विभाग में अन्य

	अधिकारियों की दशा में विभाग का प्रभारी मन्त्री, जिसके अधीन ऐसा अधिकारी सेवारत है ; ;अपपपद्ध संसद या राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या गठित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः वितपोषित या नियन्त्रित किसी निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कम्पनी, सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (जिस भी नाम से बुलाया जाए) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की दशा में, मुख्यमन्त्री ; ;पगद्ध संसद या राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या गठित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः वितपोषित या नियन्त्रित किसी निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कम्पनी, सोसाइटी या स्वायत निकाय (जिस भी नाम से बुलाया जाए) के किसी अधिकारी की दशा में, ऐसे निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कम्पनी, सोसाइटी या स्वायत्त निकाय

	का मुखिया ; ;गद्ध उपर्युक्त उपखण्ड (प) से (पग) के अधीन न आने वाले किसी अन्य दशा में ऐसा प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो : परन्तु यह कि उपखण्ड (पग) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य विधान सभा का सदस्य है, तब सदन का अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा ; **(घ)** "भ्रष्टाचार" से अभिप्रेत है व इसके अन्तर्गत है– ;पद्ध पक्षपात, भाई–भतीजावाद के अभिकथन और लोक सेवक के तौर पर उसकी हैसियत में सत्यनिष्ठा की कमी; ;पपद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय किया गया कोई कृत्य ; ;पपपद्ध हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत दण्डनीय किया गया कोई कृत्य ; ;पअद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 9 के अधीन दण्डनीय किया गया कोई कृत्य ; और

	;अद्ध अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर) या किसी साक्षी का उत्पीड़न । **(ङ)** "पूर्ण न्यायपीठ" से अभिप्राय,सामूहिक रूप से निर्णय करने वाले लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त है; **(च)** "राज्यपाल" से अभिप्राय, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है; **;छद्ध** षहिमाचल लोकायुक्तष से लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त दोनो से समाविष्ट लोकायुक्त की संस्था अभिप्रेत है य **;जद्ध** ष्लोकायुक्तष से धारा 4 के अधीन लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:, **;झद्ध** ष्उप–लोकायुक्तष से धारा 4 के अधीन उप–लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:, **;ञद्ध** ष्मन्त्रीष से राज्य सरकार का कोई मन्त्री अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नहीं हैय **;टद्ध** ष्अधिसूचनाष से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, और "अधिसूचित करना" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगाय **;ठद्ध** ष्प्रारम्भिक जांचष से, इस अधिनियम के अधीन संचालित जांच अभिप्रेत हैय

	;**डद्ध** षविहितष से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैय ;**ढद्ध** ष्लोक प्राधिकरणष सेः– (i) संविधान द्वारा या के अधीनय या (ii) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या के अधीनय या (iii) सरकार की अधिसूचना द्वारा,स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था अभिप्रेत है, और इसमें सरकार द्वारा/के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय भी सम्मिलित हैय ;**णद्ध** ष लोक सेवकष से ऐसा कोई व्यक्ति जिसने लोक पद धारण किया है या कर रहा है, और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2;गद्ध के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक है या रह चुका है अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे,– ;पद्ध हिमाचल प्रदेश का मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश मन्त्री परिषद् के सभी मन्त्री, राज्य मन्त्री, उप मन्त्री, मुख्य संसदीय सचिव,

	संसदीय सचिव और विधान सभा के सदस्यय ;पपद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी, जिसमें इक्यावन प्रतिशत संदत्त शेयर पूंजी से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई कम्पनी जो उस कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी हो, जिसमें इक्यावन प्रतिशत संदत्त शेयर पूंजी से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, का अघ्यक्ष, उपाघ्यक्ष, प्रंबध निदेशक, निदेशक मण्डल का सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ;जिस भी नाम से बुलाया जाए ; ;पपपद्ध हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3 और 4 के अधीन घोषित और गठित नगर निगम का महापौर, उप–महापौर, पार्षद या आयुक्तय ;पअद्ध हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3 और 4 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, कार्यकारी अधिकारी या सचिवय

	;अद्ध राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित और राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिक विश्वविद्यालय का कुलपति, प्रतिकुलपतिय ;अपद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित जिला परिषद् या पंचायत समिति का अध्यक्ष, उपाघ्यक्ष या सदस्य, ग्रम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्यय ;अपपद्ध तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबधित विधि के अधीन निगमित शीर्ष सोसाइटी या ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, का अध्यक्ष, उपाघ्यक्ष, प्रंबध निदेशक या किसी प्रंबध समिति या निदेशक मण्डल का सदस्यय ;अपपपद्ध राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित किसी कानूनी निकाय या अकानूनी निकाय का अघ्यक्ष, उपाघ्यक्ष, निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ;चाहे किसी नाम से बुलाया जाएद्धय ;पगद्ध इस खण्ड के उप खण्डों ;पपद्ध से

	;अपपपद्ध में निर्दिष्ट सरकार, सरकारी कम्पनी, स्थानीय निकाय, राज्य द्वारा प्रर्याप्त रूप से निधिक विश्वविद्यालय, जिला परिषद्, पंचायत समिति, शीर्ष सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, कानूनी या अकानूनी निकाय की सेवा में या वेतन मेंय ;गद्ध राज्य सरकार या उप खण्ड ;पगद्ध में निर्दिष्ट और राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में समय–समय पर अधिसूचित किसी प्राधिकरण के नियन्त्रणााधीन कोई अन्य पद या कार्यालय धारित करने वालाय और– ;गपद्ध न्यायिक सेवाओं के सदस्य और न्यायालय के अन्य कर्मचारिवृन्दय **स्पष्टीकरणः–** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए लोक सेवकों के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सम्मिलित नही होंगे ।
	;तद्ध षनियमष से अधिनियम की धारा 30 के अधीन

	बनाए गए नियम, अभिप्रेत हैं य **;थद्ध** षविनियमष से अधिनियम की धारा 31 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैय **;दद्ध** ष्अनुसूचीष से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैय **;धद्ध** ष्राज्य सरकारष से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैय **;नद्ध** षविशेष न्यायालयष से अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत हैय **;पद्ध** ष्अन्तर्सूचक ;व्हिसल ब्लोअरद्धष से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी लोक सेवक द्वारा, किसी लोक प्राधिकरण ;पब्लिक ऑथारिटीद्ध में भ्रष्टाचार के बारे में सार सहित वास्तविक सूचना उपलब्ध करवाता है या लोक आयुक्त के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में साक्षी है या पीडित है। **;2द्ध** उन शब्दों और पदो के जो यहां प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु समय समय पर संशोधित, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 समय समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस

	अधिनियम में हैं य ;3द्ध किसी अधिनियम के संन्दर्भ में, समय समय पर उस अधिनियम में किये गए संशोधन सम्मिलित हैं ।

अध्याय–2
हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना

हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना	3.(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित रीति से हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना करेगी और लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्तों की नियुक्ति करेगी, अर्थात्:– (क) लोकायुक्त, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; और (ख) दो उप–लोकायुक्त, जिनमें से एक उप–लोकायुक्त अनिन्ध सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ठ, योग्यता वाला व्यक्ति होगा जिसकी लोक प्रशासन में पच्चीस वर्ष की उत्कृष्ट सेवा हो और अन्य लोकायुक्त

	अनिन्ध सत्यानिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता वाला व्यक्ति होगा, जिसकी लोक सेवा, भ्रष्ठाचार निरोध नीति, विधि या लोक प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और सुविज्ञता होः परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नियुक्त लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति तक लोकायुक्त बना रहेगा । (2) लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त बनने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नही होगा– (क) यदि व भारत का नागरिक नही है; (ख) यदि उसके विरुद्व कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, के लिए आरोप विरचित किए गए हो; (ग) यदि वह दो वर्ष या अधिक की अवधी के लिए सिद्वदोष और दण्डादिष्ट किया गया हो ; (घ) यदि व कार्यालय ग्रहण करने की तारीख को पचपन वर्ष की आयु से कम हो; (ङ) यदि व संसद, विधान मण्डल या स्थानीय

	निकाय का सदस्य हो; (च) यदि उस पर संघ या राज्य की संघी सेवा के दौरान प्रमुख शास्ति अधिनिर्णीत की गई हो; परन्तु लोकायुक्त दायित्व और लाभ का (उसके लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त के पद से अन्यथा) कोई भी पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित न होगा या कोई कारबार या व्यवसाय या कोई वृति न चलाएगा और तद्नुसार, व अपने पद ग्रहण करने से पूर्व– ;पद्ध यदि वह दायित्व या लाभ के किसी पद को धारित करता है, तो वह ऐसे पद से त्याग पत्र देगा; या ;पपद्ध यदि वह कोई कारबार कर रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबंधन से अपना सम्बंध तोड देगा या; ;पपपद्ध यदि वह कोई वृत्ति का व्यवसाय करता है, तो वह ऐसे वृत्ति के व्यवसाय में न रहेगा ।

	(3) हिमाचल लोकायुक्त का पद (स्थान) शिमला में होगा । 4. (1) लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त, राज्यपाल द्वारा, चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् उसके हस्ताक्षर और मोहर के अधीन वारंट द्वारा नियुक्त किए जाएगें । (2) चयन समिति का गठन निम्नलिखित से होगा – ;पद्ध हिमाचल प्रदेश का मुख्य मन्त्री–अध्यक्ष ;पपद्ध हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष का नेता–सदस्य ;पपपद्ध हिमालच प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति–सदस्य **स्पष्टीकरण** :– इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां विधान सभा में विपक्ष का नेता मान्यता प्राप्त नहीं है, तो विधान सभा में विपक्ष में एक बडे समूह का नेता, विपक्ष का नेता समझा जाएगा ।
लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों की नियुक्ति ।	(3) चयन समिति, हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त और अन्य उप–लोक आयुक्तों का, जांच पड़ताल समिति द्वारा

	तैयार की गई सक्षिप्त सूची में से चयन करेगी । **5.** (1) जांच पड़ताल समिति, उन व्यक्तियों में से, जो अनिन्द्य सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले, लोक सेवा, विधि,लोक प्रशासन या लोक सेवा से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान और सुविज्ञता रखने वाले हो, चयन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्यों से गठित होगी । (2) जांच पड़ताल समिति के सदस्य ऐसे मानदेय, के लिए ऐसी शर्तो के अध्यधीन पात्र होंगे, जैसी विहित की जाएं । (3) जांच पड़ताल समिति, ऐसे विख्यात व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या संगठनों, जिन्हे वह उचित समझे, से आवेदन आमंत्रित करेगी, नामनिर्देशन चाहेगी और व्यक्तियों के नाम लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त के रूप में विचार करने के लिए सम्मिलित कर सकेगी । (4) ऐसे व्यक्तियों के नामों को सम्पूर्ण पूर्ववृत्त सहित पब्लिक वैवसाइट पर डाला जाएगा और इन्हें जांच पड़ताल समिति द्वारा दो अग्रणी समाचार पत्रों में भी लोक आक्षेपों से सम्बन्धित कोई जानकारी आमंत्रित करने के कम से कम
जॉच पड़ताल समिति ।	

	पन्द्रह दिन का समय देकर, प्रकाशित किया जाएगा । (5) जांच पड़ताल समिति, पारदर्शी रीति में चयन समिति के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों को छांटने के प्रयोजन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाएगी । समिति ऐसे अभ्यर्थियों की जानकारी और पृष्ठभूमि तथा उपलब्धियों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए समस्त प्रसांधनों का प्रयोग करेगी । ऐसी सूचना, में अन्य बातों के साथ–साथ, किसी विधि के अधीन सामना किए गए किन्हीं अभिकथनों के ब्योरे पूर्व में भ्रष्टाचार के विरुद्व किए गए उसके कार्यो के ब्यौरे, और वो कारण कि क्यों व्यक्ति इस कार्य (जॉब) के उपयुक्त है और अन्य बातें, जो जांच पड़ताल समिति विनिश्चित करे, अर्न्तविष्ट होंगे । (6) जांच पड़ताल समिति प्रत्येक पद के लिए तीन नामों की सिफारिश करेगी । समिति, चयन समिति को संक्षिप्त सूची भेजने से पूर्व, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए जन साधारण को समर्थ बनाने के लिए छंटनी किए गए व्यक्तियों के नामों को पब्लिक वैवसाइट पर डालेगी । 6. (1) चयन समिति, छंटनी किए गए अभ्यर्थियों के बारे में समस्त सुसंगत सूचना पर विचार करने के पश्चात, हिमाचल

	प्रदेश लोकायुक्त के लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों की अधिमान्यतः आम सहमति से चयन करेगी । (2) चयन समिति, हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त के रूप में सिफारिश किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन करने के पश्चात् राज्यपाल को नामों की सिफारिश करने से पूर्व, उनके इस रूप में सेवा करने की रजामंदी को सुनिश्चित करेगी । (3) सरकार, यथास्थिति, लोकायुक्त या उप– लोकायुक्त की रिक्ति को, लोकायुक्त या उप– लोकायुक्त की पदावधि की समाप्ति तारीख से एक मास के भीतर भरेगी : परन्तु यदि रिक्ति अकल्पित कारणों के कारण उत्पन्न होती है, तो यह ऐसी रिक्ति की उत्पन्न होने की तारीख से तीन मास के भीतर भरी जाएगी । **7.** (1) लोकायुक्त और प्रत्येक उप–लोकायुक्त पांच वर्ष की एकल अवधि के लिए, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो प्राप्त नहीं कर लेता है, पद धारित करेगा : परन्तु लोकायुक्त के रूप में नियुक्त आसीन उप–लोकायुक्त से शेष अवधि या सत्तर वर्ष तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए पद पर रहेगा, किन्तु उप–लोकायुक्त और लोकायुक्त के रूप में कुल अवधि

	पांच वर्ष से अधिक नही होगी : परन्तु यह और कि लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा । (2) लोकायुक्त और प्रत्येक उप–लोकायुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के समक्ष, अनुसूची में दिए हुए प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान और हस्ताक्षर करेगा । (3) लोकायुक्त के पद में, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा रिक्त होने की दशा में राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा नए लोकायुक्त की नियुक्ति न होने तक, ज्येष्ठतम उप–लोकायुक्त को लोकायुक्त के रूप में कार्य करने को प्राधिकृत कर सकेगा : परन्तु जब लोकायुक्त, छुट्टी के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, लोकायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जब तक वह अपने कर्तव्यों को ग्रहण नही कर लेता, ज्येष्ठतम उप–लोकायुक्त को प्राधिकृत कर सकेगा ।
चयन समिति द्वारा लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त का चयन ।	
लोकायुक्त और	8. (1) लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त को क्रमशः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन संदत्त किया जाएगा तथा भत्ते

उप–लोकायुक्तों की पदावधि ।	और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी विहित की जाएं परन्तु विद्यमान लोकायुक्त को उपलब्ध वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं, लोकायुक्त बनने पर अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं की जाएगीं: परन्तु यह और कि यदि लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त उसकी नियुक्ति के समय पर, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा कि बाबत पेंशन (निःशक्तता पेन्शन से अन्य)लेता है, तो "यथास्थिति" लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन, (क) उस पेन्शन की रकम से; और (ख) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के भाग के बदले में उसका सारांशित मूल्य अभिप्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की रकम से, कम किया जा सकेगा । (2) लोकायुक्त और उप–लोक आयुक्त, ऐसी हैसियत से पद धारण करने के लिए किसी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे : परन्तु लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं की जाएगी । 9. लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर, भारत सरकार या किसी राज्य की

	सरकार में या किसी ऐसे निकाय, जो किसी भी सरकार द्वारा निधित है, राजनायिक समनुदेशन, किसी पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा ।
लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते ।	**10.** (1) हिमाचल लोकायुक्त का सचिव जो अखिल भारतीय सेवा से, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति में से हिमाचल लोकायुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । (2) हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द राज्य सरकार से या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संगठनों से सैकेंडमेंट आधार पर हिमाचल लोकायुक्त द्वारा लिए जाएंगे । परन्तु हिमाचल लोकायुक्त के विद्यमान कर्मचारिवृन्द हिमाचल लोकायुक्त की सेवा में निरन्तर कर्मचारी रहेंगे। (3) हिमाचल लोकायुक्त, हिमाचल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शतों से सम्बन्धित विनियम बनाएगा ।

अध्याय–3

हिमाचल लोकायुक्त की शक्तियां और कृत्य

11. लोकायुक्त की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित समस्त मामलों सहित, अधिनियम के अधीन स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारम्भ करना ;

(ख) लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करना ;

(ग) लोकायुक्त के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द के विरूद्व शिकायतें प्राप्त करना ;

(घ) रिटेनरशिप पर अभियोजकों और वरिष्ठ कांउसिलों को लेना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन भ्रष्टाचार के किसी कृत्य से अंतर्वलित अपराधों के अन्वेषण पर अधीक्षण करना ;

(च) ऐसे अपराधों के उचित अन्वेषण के लिए अन्वेषण अधिकारियों को निर्देश देना ;

(छ) भ्रष्टाचार के किसी कृत्य में अंतर्वलित किसी मामले में अन्वेषण के पूर्ण होने पर अभियोजन या

लोकायुक्त और

उप–लोकायुक्तों के पद धारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात नियोजन पर निर्बन्धन । हिमाचल लोकायुक्त का सचिव,अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द ।	विभागीय कार्यवाहियों का निर्देश देना ; (ज) विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन प्रारम्भ करना ; (झ) पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, संविदा या करार, यदि भ्रष्ट साधन से प्राप्त किया गया था, के स्थगन, रद्दकरण या उपान्तरण की सिफारिश करना और फर्म, कम्पनी, ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार के किसी मामले में अंतर्ग्रस्त है, को काली सूची में डालने की सिफारिश करेगा । सम्बद्ध प्राधिकारी हिमाचल लोकायुक्त को, कारणों के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तीन मास के भीतर इसकी अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा, जहॉ वे किसी भी सिफारिश का स्वीकृत करना नहीं चुनते हैं:– (ञ) विधि के अनुसार जब्त तथा कुर्क की गई सम्पत्ति को प्राप्त करने और भ्रष्ट साधनों से अर्जित की गई परिसम्पत्तियों की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने ; (ट) इस अधिनियम के अनुसार और इसके आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु समुचित कार्रवाई करना; (ठ) लोक प्राधिकारियों को सिफारिशें भेजना, भ्रष्टाचार और अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर) के उत्पीड़न की सम्भावना को कम करने के लिए उनके

	कार्यव्यवहार में परिवर्तन करना; (ड) हिमाचल लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित किसी लोक प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट सहायता देने की अपेक्षा करना ; (ढ) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में लम्बित अन्वेषण के सम्बन्ध अनुरोध पत्र को जारी करने के लिए प्राधिकृत करना । **अध्याय–4** **हिमाचल लोकायुक्त द्वारा जॉच और अन्वेषण**
हिमाचल लोकायुक्त की शक्तियां और कृत्य ।	**12** (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन हिमाचल लोकायुक्त, किसी लोक सेवक की बाबत शिकायत में किये गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अन्तर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे सम्बन्धित किसी विषय में जॉच करेगा या जॉच करवाएगा । (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिमाचल लोकायुक्त राज्य विधान सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध राज्य विधान सभा में या संविधान के अनुच्छेद

	194 के खण्ड (2) के अधीन उसकी किसी समिति के अन्तर्गत, उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत की बाबत भ्रष्टाचार के ऐसे किसी अभिकथन से अन्तर्वलित या इससे उत्पन्न या इससे सम्बद्ध किसी मामले में जॉच नहीं करेगा । (3) हिमाचल लोकायुक्त, उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कृत्य या आचरण की जॉच भी कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिश्वत देने या रिश्वत लेने या उकसाने या भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से सम्बन्धित षड़यन्त्र रचने के कृत्य में अन्तर्वलित है । (4) इस अधिनियम के अधीन किसी भी मामले को, जिसके सम्बन्ध में हिमाचल लोकायुक्त को शिकायत की गई है, जॉच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जॉच के लिए निर्देशित नहीं किया जाएगा । **स्पष्टीकरण–** हिमाचल लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त,

	निम्नलिखित किसी मामले की जॉच नहीं करेंगे– (क) जिसके विषय में, लोक सेवक (जॉच) अधिनियम,1850, के अधीन औपचारिक और लोक जॉच आदेशित हो चुकी है; या (ख) जो लोक सेवक के रूप में ऐसे व्यक्ति के कृत्यों के निर्वहन के साथ, जिसके विरुद्ध अभिकथन किया गया है, सम्बद्ध नहीं है ; या (ग) किसी लोक सेवक के विरुद्ध अभिकथन के सम्बन्ध में यदि ऐसी तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् शिकायत की गई है, जब आरोपित आचरण पर पहले ही शिकायत की जा चुकी हो । **स्पष्टीकरण**–शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि इस अधिनियम के अधीन शिकायत केवल उस अवधि से सम्बन्धित है, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत से धारित या सेवारत था ।

हिमाचल लोकायुक्त द्वारा जॉच ।	(5) हिमाचल लोकायुक्त अपनी वेबसाइट पर पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राप्त हुए मामलों को, प्रत्येक मामले के संक्षिप्त ब्यौरों के साथ, मास के दौरान निपटाए गए मामलों और मास के अन्त में लम्बित मामलों को डालेगा । (6) हिमाचल लोकायुक्त पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्वेषण का पूर्ण अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन संचालित जॉच को पब्लिक वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक किया गया है । (7) हिमाचल लोकायुक्त अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा । **13** (1) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन हिमाचल लोकायुक्त को शपथ पत्र द्वारा समर्थित अभिकथन के रूप में, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, शिकायत कर सकेगा । (2) हिमाचल लोकायुक्त उपधारा (1) के अधीन

	शिकायत की प्राप्ति पर पहले विनिश्चय करेगा कि मामले पर कार्यवाही की जाए या उसे बन्द कर दिया जाए, और यदि हिमाचल लोकायुक्त आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है, तो यह किसी लोक सेवक के विरुद्ध, अपने अन्वेषण विंग या किसी अभिकरण (किसी विशेष अन्वेषण अभिकरण सहित) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, प्रारम्भिक जॉच के आदेश देगा । सभी मामलों में प्रारम्भिक जॉच करना अनिवार्य नहीं होगा । (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भिक जॉच के दौरान, यथास्थिति, अन्वेषण विंग या कोई अभिकरण प्रारम्भिक जॉच संचालित कर सकेगा और सारवान सूचना और एकीकृत दस्तावेजों के आधार पर साठ दिन की अवधि या संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से आगे विस्तारित अवधि के भीतर, हिमाचल लोकायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत

	करेगा । (4) हिमाचल लोकायुक्त उपधारा (3) के अधीन प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर लोक सेवक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, विनिश्चय करेगा कि क्या कोई प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, तथा निम्नलिखित एक या अधिक कार्रवाइयॉ करने की सिफारिश करेगा, अर्थात्:– (क) अपने अन्वेषण विंग या किसी अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण; (ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध विभागीय कार्यवाहियॉ या किसी अन्य समुचित कार्रवाई करने का निदेश देना ; और (ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों की समाप्ति और इस अधिनियम के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध आगे कार्यवाही करना । (5) हिमाचल लोकायुक्त द्वारा शिकायत पर अन्वेषण

	की कार्यवाही करने की दशा में यह या तो किसी अन्वेषण अभिकरण (किसी विशेष अभिकरण सहित) यथासम्भव यथाशीघ्र अन्वेषण कार्यान्वित करने और अपने आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण करने का विनिश्चय करेगाः परन्तु हिमाचल लोकायुक्त उक्त अवधि, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा । (6) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 173 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई अभिकरण (किसी विशेष अभिकरण सहित) हिमाचल लोकायुक्त द्वारा इसे निर्दिष्ट मामलों की बाबत हिमाचल लोकायुक्त को अन्वेष्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । (7) हिमाचल लोकायुक्त उपधारा(6) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करेगा और लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित की बाबत

शिकायतें और प्रारम्भिक जॉच तथा अन्वेषण ।	विनिश्चय कर सकेगा कि– (क) लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र या बन्द करने की रिपोर्ट दायर करने ; (ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियॉ या कोई अन्य समुचित कार्यवाही करने का निदेश देने । (8) हिमाचल लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी को अन्वेषण रिपोर्ट अग्रेषित करेगा, यदि विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर करने का विनिश्चय किया जाता है, जो अभियोजन की मंजूरी प्रदान करेगा या मॉगेगा या अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 120 दिन के भीतर लिखित में रिपोर्ट भेजेगा, ऐसा न होने पर अभियोजन मंजूरी प्रदान की गई समझी जाएगी । अभियोजन की मंजूरी या लिखित में रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् हिमाचल लोकायुक्त–

	(क) अपने अभियोजन विंग को, इसके अन्वेषण विंग या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण (किसी विशेष अभिकरण सहित) द्वारा अन्वेषित मामलों की बावत विशेष न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ करने का निदेश देगा, या (ख) किसी अन्य अभिकरण को हिमाचल लोकायुक्त के निदेश पर ऐसे अभिकरण द्वारा अन्वेषित मामलों में इसका अनुमोदन प्राप्त करने और तत्पश्चात विशेष न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ करने तथा इस खण्ड के अधीन इसके द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र की प्रति को लोकायुक्त को अधीक्षण के प्रयोजन के लिए अग्रेषित करने का निदेश देगा । (9) हिमाचल लोकायुक्त, यथास्थिति, प्रारम्भिक जॉच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारम्भिक जॉच या

	अन्वेषण, जैसा वह उचित समझे, से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश पारित करेगा । (10) हिमाचल लोकायुक्त का यदि समाधान हो जाता है कि अन्वेषण के दौरान भ्रष्टाचार की चालू घटना के निवारण के लिए लोकहित में कोई निवारक कार्रवाई आवश्यक है, तो यह सम्बद्ध लोक प्राधिकारी को कार्यान्वयन और किसी विनिश्चय के प्रवर्तन को रोकने की सिफारिश कर सकेगा या ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी इसके द्वारा सिफारिश की जा सके । लोक प्राधिकारी या तो हिमाचल लोकायुक्त की सिफारिश का पालन करेगा या इसकी सिफारिश के तीस दिन के भीतर इसे रद्द करेगा । (11) हिमाचल लोकायुक्त की वैबसाइट लोगों के लिए इसके समक्ष लम्बित शिकायतों की प्रास्थिति प्रदर्शित करेगी ।

	(12) संघ के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की सेवा की दशा में केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई अन्वेषण प्रारम्भ नहीं किया जाएगा । **14.** यदि कार्यवाही की दशा में हिमाचल लोकायुक्त– (क) सिद्धदोष से अन्यथा किसी व्यक्ति के आचरण से सम्बन्धित जॉच कराना आवश्यक समझता है; या (ख) उसकी यह राय है कि सिद्धदोष से अन्यथा किसी व्यक्ति का आचरण प्रारम्भिक जॉच द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभाव्य है, तो हिमाचल लोकायुक्त उस व्यक्ति को प्रारम्भिक जॉच में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने देगा । **15.** इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन किसी प्रारम्भिक जॉच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, हिमाचल लोकायुक्त या अन्वेषण प्राधिकारी किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति, जो उसकी राय में सूचना

	देने या ऐसी प्रारम्भिक जॉच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में समर्थ है, से ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत करने या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा । **अध्याय–5** **हिमाचल लोकायुक्त का अन्वेषण विंग** **16** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिमाचल लोकायुक्त का, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय–9 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय, किसी लोक सेवक द्वारा किसी अपराध, जिसका किया जाना अभिकथित है, के निष्पक्ष, पक्षपात रहित और पारदर्शी अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए एक अन्वेषण विंग (राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से गठित) होगा । राज्य सरकार

	अन्वेषण अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की ऐसी संख्या उपलब्ध करवाएगा, जैसी हिमाचल लोकायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसी जॉच या अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो । (2) कोई भी अन्वेषण, अन्वेषण विंग के पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के किसी अधिकारी द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा । (3) इस अधिनियम के अधीन किसी जॉच को संचालित करने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । (4) हिमाचल लोकायुक्त के प्राधिकृत अन्वेषण अधिकारियों को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय–9 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन अपराधों के अन्वेषण की समस्त वही शक्तियॉ होंगी, जो दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन अपराधों के

	अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी में निहित है । **17.** हिमाचल लोकायुक्त द्वारा सिफारिश किए गए स्थान, समय–समय पर यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अघ्याय–9, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1983 के अधीन विचारणीय संज्ञेय अपराधों के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय–समय पर यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) के अन्तर्गत और अर्थ में हिमाचल लोकायुक्त पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित होगें। **18.** (1) दो सदस्यों वाला अंशकालिक शिकायत प्राधिकरण हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारियों या कर्मचारिवृन्द के विरूद्व शिकायतों को ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से हिमाचल लोकायुक्त में स्थापित किया जाएगा।

	(2) ऐसे प्राधिकरण के सदस्य को विधि या लोक प्रशासन का ज्ञान होगा। (3) शिकायतों की जांच की जाएगी और उनका विनिश्चय दो मास के भीतर किया जाएगा। हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारियों या कर्मचारीवृन्द को अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर दिया जाएगा। यदि अधिकारियों या कर्मचारीवृन्द का सदस्य कदाचार या बेईमानी या भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, तो प्राधिकरण उसकी पदच्युति, हटाने या सम्बद्ध विभाग को उसे वापिस भेजने सहित रैंक में अवनति के आदेश कर सकेगा । **अध्याय–6** **विशेष न्यायालय** 19 ;1द्ध राज्य सरकार हिमाचल लोकायुक्त की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के परामर्श से भ्रष्टाचार निवारण

	अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता के अघ्याय–9, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1983 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन मामलों को सुनने और विनिश्चय करने को विशेष न्यायालय अभिहित करेगी। ;2द्ध उपधारा ;1द्ध के अधीन अभिहित विशेष न्यायालय विचारण का, न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिश्चय करेगाः परन्तु यदि विचारण का एक वर्ष की अवधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है, तो विशेष न्यायालय इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और तीन मास से आगामी अनधिक अवधि या ऐसी आगामी विस्तारित अवधि किन्तु, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, दो वर्ष की कुल अवधि से अनधिक के भीतर, विचारण का विनिश्चय करेगा।
सुने जाने के लिए संभाव्यतः प्रतिकूलतः प्रभावित व्यक्ति ।	20 ;1द्ध इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भिक जांच या अपराध या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस निमित आवेदन हिमाचल लोकायुक्त के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को किया जाना है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उपराध

हिमाचल लोकायुक्त, किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी सूचना आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।	या कार्यवाही की प्रारम्भिक जांच या अनवेषण के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है, और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य अन्य राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकता है, और विशेष न्यायालय, संन्तुष्ट होने पर कि ऐसा साक्ष्य अपेक्षित है, अन्य राज्य के न्यायालय या प्राधिकरण को निम्नलिखित के बारे, ऐसे निवेदन पर कार्यवाही करने के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा– ;पद्ध मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परिक्षण करने; ;पपद्ध ऐसे कदम उठाने के लिए, जैसे विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध पत्र में विनिर्दिष्ट करे; और ;पपपद्ध ऐसे लिए गए या एकत्रित किए गए सभी साक्ष्य, ऐसे अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा।
अन्वेषण विंग	;2द्ध अभिलिखित प्रत्येक कथन या उप धारा ;1द्ध के अधीन प्राप्त किया गया दस्तावेज या वस्तु जांच या अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्य समझी जाएगी।

हिमाचल लोकायुक्त पुलिस स्टेशन।	

शिकायत प्राधिकरण	

विशेष न्यायालयों का गठन।	

कतिपय मामलों में अनुरोध पत्र ।	

अध्याय–7

हिमाचल लोकायुक्त का अभियोजन विंग (खण्ड)

अभियोजन विंग(खण्ड)	21ण	इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत के सम्बन्ध में लोक सेवक के अभियोजन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित संगठन से सैकिन्डमैंट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले अभियोजन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द से गठित हिमाचल लोकायुक्त का एक अभियोजन विंग

	(खण्ड) होगा। अभियोजन (खण्ड), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 9, या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसा अनुमोदन प्रदान करने के लिए हिमाचल लोकायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् विशेष न्यायालय के समक्ष कोई मामला दायर करेगा । **स्पष्टीकरणः–** हिमाचल लोकायुक्त के समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृंद का अधीक्षण, सुरक्षा, प्रबन्धन, अनुश्रवण और नियन्त्रण अन्वेषण और अभियोजन विंगों (खण्डों) के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद सहित हिमाचल लोकायुक्त के पर्यवेक्षणाधीन होगा ।

अध्याय–8

सिविल न्यायालय और हिमाचल लोकायुक्त की अन्य शक्तियॉ ।

हिमाचल लोकायुक्त के पास कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।	22ण	;1द्ध हिमाचल लोकायुक्त को निम्नलिखित मामलों मे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियॉ होंगी, अर्थात् :– (क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना; (ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति अपेक्षित करना; (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना; (ङ) साक्षियों या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा के लिए

	कमीशन जारी करना; और (च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए । ;2द्ध हिमाचल लोकायुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 व 228 के अभिप्राय के भीतर न्यायायिक कार्यवाही समझी जाएगी । ;3द्ध यदि शिकायत की जांच के दौरान, हिमाचल लोकायुक्त यह अनुभव करता है कि सरकारी कर्मचारी का उस पद पर बने रहने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उक्त सरकारी कर्मचारी सम्भवतः साक्ष्य को नष्ट करेगा या उससे छेड़छाड़ करेगा या साक्षियों को प्रभावित करेगा या सम्भवतः भ्रष्ट आचरण जारी रखेगा, तो हिमाचल लोकायुक्त उस सरकारी कर्मचारी का उस पद से स्थानान्तरण का निदेश जारी कर सकेगा । इस प्रकार संसूचित निदेश आवद्धकर होंगे । ;4द्ध हिमाचल लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के किसी स्तर पर समुचित प्राधिकारियों को , किसी अन्तरिम आदेश द्वारा, लोक सेवक को

	भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित सम्पत्ति को गुप्त रखने से विधि के अनुसार निवारित करने के लिए ऐसी कार्रवाई, जो आवश्यक है, करने का निदेश दे सकेगा । ;5द्ध जहां हिमाचल लोकायुक्त को, अपने पास उपलब्ध जानकारी के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के अधीन कोई सम्मन या सूचना जारी की गई हो या की जा सकती हो, कोई सम्पत्ति, दस्तावेज या वस्तु, जो किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों में आवश्यक या लाभदायक या सुसंगत हो, पेश नहीं कर सकेगा या करवा सकेगा। वह तलाशी वारंट द्वारा, किसी अधिकारी, जो पुलिस निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का न हो, से तदानुसार तलाशी या निरीक्षण करने हेतु विशेष रुप में किसी भवन या स्थान, जहां उसके पास कारण हो कि संधिग्ध ने ऐसी संपति, या दस्तावेज रखे हैं, में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगाः परंतु तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के उपबंध इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के लिए, जहां तक

	हो सके, लागू होंगेः परंतु यह और कि इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई वारंट, समस्त प्रयोजनों के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 93 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी वारंट समझा जाएगा।

अध्याय–9

हिमाचल लोकायुक्त की कार्यवाही

हिमाचल लोकायुक्त की कार्यवाहियॉ ।	23ण	;1द्ध हिमाचल लोकायुक्त, लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों के मध्य कारबार के संव्यवहार और आबंटन के प्रयोजन के लिए, अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा । ;2द्ध हिमाचल लोकायुक्त का कोई कार्य या कार्यवाही – (क) हिमाचल लोकायुक्त में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि; (ख) हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में कार्य करने वाले

	किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या (ग) मामले के गुणागुण को न प्रभावित करने वाली किसी अनियमितता– के कारण अविधिमान्य नहीं होगी । **;3द्ध** अपवादिक परिस्थिति, जहां ऐसा करना लोक हित में न हो, के सिवाए, हिमाचल लोकायुक्त के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में सुनवाइयॉ सार्वजनिक रूप से की जाएंगी और उसके लिए कारण उन कार्यवाहियों को बन्द कमरे में आयोजित करने से पूर्व, लिखत में अभिलिखित किए जाएंगे ।

अध्याय–10

हिमाचल लोकायुक्त की जवाबदेही

हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त और उप –लोकायुक्तों का हटाया जाना ।	**24**	(1) लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त को उनके पर से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इस प्रकार हटाए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के, विधान सभा द्वारा उसी सत्र में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल ने आदेश पारित न कर दिया हो । (2) उपधारा (1) के अधीन किसी समावेदन के प्रस्तुत किए जाने की ओर लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तों के कदाचार या असमर्थता की जॉच और साबित किए जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में किसी न्यायाधीश को हटाए जाने के सम्बन्ध में उपबन्धित की गई है और, तदानुसार उस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक उपान्तरणों के अधीन लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त को हटाए जाने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे न्यायाधीश के हटाए जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं । (3) यदि शिकायत तुच्छ पाई जाती है और असद्भाव से आशय से की गई है, तो ऐसी शिकायत हिमाचल लोकायुक्त द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर की जाएगी,

	जो शिकायतकर्ता पर दस लाख तक का जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास या दोनों को अधिरोपित कर सकेगा । **स्पष्टीकरणः** इसमें इससे पूर्व यथा उपबन्धित राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त और उप–लोकायक्त को हटाने के लिए किसी कार्रवाई से पूर्व, नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांत के उद्देश्य से लोकायुक्त या उप–लोकायुक्त को स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।
हिमाचल लोकायुक्त का बजट ।	**25.** (1) हिमाचल लोकायुक्त, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा । हिमाचल लोकायुक्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट को किसी सरकारी अभिकरण से प्रशासनिक या वित्तीय अनुमोदन के बिना उपयोग कर सकेगा । (2) हिमाचल लोकायुक्त की वार्षिक लेखा परीक्षा भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी । **26.**(1) हिमाचल लोकायुक्त अपने कार्य की वार्षिक समेकित रिपोर्ट को विहित प्ररूप पर राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा । (2) राज्यपाल, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति

हिमाचल लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट ।	पर उसकी एक प्रति को व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सदन के पटल पर रखवाएगा ।

अध्याय–11

उच्च कृत्यकारियों के विरुद्ध जॉच और अभियोजन

उच्च कृत्यकारियों के विरुद्ध जॉच ।	(27) हिमाचल लोकायुक्त की पूर्ण न्यायपीठ की अनुज्ञा के बिना निम्नलिखित किन्ही कृत्यकारियों के विरुद्ध कोई जॉच, अन्वेषण या अभियोजन आरम्भ नहीं किया जाएगाः– (i) मुख्य मन्त्री और मन्त्रीपरिषद् के अन्य सदस्य; (ii) मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव ; (iii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य ; और (iv) हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव स्तर या उससे उपर के कोई अधिकारी या

	विभागाध्यक्ष ।
शिकायतकर्ता की मृत्यु की दशा में जॉच का जारी रखना ।	28. यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह अभिकथन को लेने से असमर्थता जताता है या अभिकथनों को सिद्ध साबित करने के लिए कोई आगामी पग नहीं उठाता तो, अभियोजन जारी रहेगा तथा लोकायुक्त कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा करेगा ।
शिकायतों का वापिस लेना ।	29. किसी भी शिकायत को तब तक वापिस लेने की अनुज्ञा नहीं होगी, जब तक लोकायुक्त का समाधान नहीं हो जाता कि शिकायत को सद्भाविक मूल से किया गया था या की गई शिकायत का समुचित रूप से निपटारा कर लिया गया है ।

अध्याय–12

नियम और विनियम बनाने की शक्तियॉ

नियम बनाने की शक्ति।	**30.** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी । नियमों के अन्तर्गत हिमाचल लोकायुक्त (अन्वेषण) नियम, 2012, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्ते) नियम, 2012, और हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्ते) नियम, 2012 और हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की संस्था में अभिलेखों का विनाश द्वारा व्ययन नियम, 2012 भी हो सकेंगे । (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, यथाशक्य शीघ्र सदन के सभा पटल पर रखा जाएगा ।
विनियम बनाने की शक्ति ।	**31.** (1) लोकायुक्त, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के

	उपबन्धों को कार्यान्वित करने लिए, इस अधिनियम से संगत निनियम बन सकेगा । (2) उप–धारा (1) में अन्तर्दिष्ट विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त या किन्ही मामलों का उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्– (क) अधिनियम के अधीन शक्तियों के निवर्हन के लिए भिन्न स्तरों पर अधिकारियों पर प्राधिकार प्रदान करना और इसके अधिकारियों या कर्मचारिवृंद के सदस्यों के विरुद्ध उन शिकायतों से संबन्धित जॉच को सम्मिलित करते हुए किसी जॉच के लिए प्रक्रिया, अधिकथित करना; (ख) अवधि, जिसके भीतर अन्वेषण और जॉच को पूर्ण किया जाना है ; (ग) लोकायुक्त द्वारा परिचालन के माध्यम से कतिपय विनिश्चय करने के लिए उपबन्ध करना ;

	(ग) हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारियों के प्रत्येक प्रवर्ग और कर्मचारियों के लिए कार्यमानक ; (झ) सभी स्तरों पर हिमाचल लोकायुक्त संगठन के लिए आचार संहिता ; (च) उन शक्तियों और कृत्यों, जो इसके द्वारा प्रयुक्त की जानी हैं या निवर्हन की जानी हैं, के सिवाय इसके अधीनस्थ प्राधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी शक्तियों और कृत्यों में से किन्हीं का प्रत्यायोजन ; और (छ) कोई अन्य विषय, जिन पर हिमाचल लोकायुक्त विनियमन बनाना उचित समझे ।

अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर्स)

अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर्स)।	**32** (1) किसी लोक प्राधिकरण में किसी भ्रष्टाचार की सूचना रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी सूचना को गोपनीयता से हिमाचल लोकायुक्त को भेज सकेगा और हिमाचल लोकायुक्त, ऐसी सूचना की जॉच करवाएगा और यदि आवश्यक समझे तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 या भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय–9 के अधीन जॉच करवाएगा । (2) ऐसे अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर्स) की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, यदि इस प्रकार वॉछित हो, और हिमाचल लोकायुक्त, वास्तविक तथा उपर्युक्त मामलों में, ऐसे अन्तर्सूचक को किसी शारीरिक उत्पीड़न, शारीरिक धमकी या प्रशासनिक संताप हेतु पूरा संरक्षण देने के लिए आवश्यक निदेश दे सकेगा । (3) हिमाचल लोकायुक्त, इस धारा के अधीन प्राप्त सूचना पर ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, यथा सम्भव शीघ्रता के साथ, आदेश पारित करेगा तथा शारीरिक उत्पीड़न की धमकी से अन्तर्ग्रस्त मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और ऐसे

	आदेश का सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा । (4) शारीरिक या व्यावसायिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अन्तर्सूचक द्वारा शिकायतों में जॉच, उसकी प्राप्ति के शीघ्रतम आधार पर की जाएगी । किन्हीं बेनाम या छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा । शिकायतकर्ता को, हिमाचल लोकायुक्त को अपना परिचय देना अपेक्षित नहीं होगा तथा हिमाचल लोकायुक्त, शिकायतकर्ता के अनुरोध पर परिचय गुप्त रखेगा ।

अध्याय–14

प्रकीर्ण

कठिनाइयॉ दूर करने की शक्ति ।	**33** (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, हिमाचल लोकायुक्त के परामर्श से, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो कठिनाई को दूर कर सकेगी :

		परन्तु ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, सभा के पटल पर रखा जाएगा ।
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।	34	इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ, हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त, उप– लोकायुक्त, अधिकारियों, कर्मचारियों और किसी अन्य लोक सेवक, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होंगी ।
हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।	35.	लोकायुक्त, उप–लोकायुक्त, अधिकारी और कर्मचारी जब इस अधिनियम के किसी उपबंध की अनुपालना में कार्य करते हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होते है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।	36. इस अधिनियम के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई असंगत बात होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।
इस अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।	37. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगें, न कि अल्पीकरण मे।
प्रत्यायोजन की शक्ति।	38. हिमाचल लोकायुक्त, साधारण और विशेष आदेश द्वारा लिखित में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन, निदेश दे सकेगा कि उसे प्रदत कोई प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग की जा सकेगी या उसका निर्वहन किया जा सकेगा।
निरसन और	39. ;1द्ध हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।

व्यावृतियॉ 1983 का 17	;2द्ध ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की कई समझी जाएगी।

अनुसूची

ख्धारा 7 ;2द्ध देखे,

मै.....हिमाचल लोकायुक्त का लोकायुक्त (या उप–लोकायुक्त) नियुक्त हुआ हूॅ ईश्वर की शपथ लेता हूॅ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूॅ कि मै विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मै सम्पूर्ण रूप से और श्रद्धापूर्वक तथा

अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, बिना भय अथवा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के, पालन करूंगा।

उदेश्यों और कारणों का कथन

भ्रष्टाचार मुक्त समाज की व्यवहारिक शासन प्रणाली की स्थापना का उपबंध करने के लिए विधेयक, ताकि विभिन्न प्राधिकरणों, परिकरणों, अभिकरणों, उपक्रमों और निकायों चाहे सरकार के प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या द्वारा सारतः निधिबद्ध हो, सहित राज्य के संसाधनों का उपयोग, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए ऐसे संसाधन आबंटित किए गए है, किन्ही परोक्ष प्रयोजनों, लाभ और अंतरस्थ हेतुओं के लिए बिना किसी क्षेप्य (बर्बादी) के जन साधारण के अनुकूलतम उपयोग के लिए किया जा सके, ताकि सरकार के स्वामित्वधीन या निमन्त्रणाधीन ऐसे प्राधिकरणों, निकायों और संस्थाओं, के कार्यकरण में व्यवहारिक पारदर्शिता और जवाबदेही हो ।

और सरकार के उन कृत्यकारियों, के विरूद्ध उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जो अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए और सरकार को सदोष हानि पहुंचाते हुए तथा जन साधारण का शोषण करते हुए, अपने पद और शक्ति का दुरूपयोग करते हुए कदाचार में संलिप्त रहते हैं, किसी प्रभावी, स्वायत्त और स्वतन्त्र प्राधीकरण का उपबन्ध करने की आवश्यकता है;

और अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर) और अन्य, जिन्होंने राज्य के संसाधनों के कदाचार, शोषण, दुरूपयोग की रोकथाम करने के लिए गुप्त जानकारी और सहायता दी है, को सुरक्षा प्रदान करना समीचीन है;

और विद्यमान हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 को लोक सेवकों के स्तर पर ऐसे कुछ कदाचारों, शक्ति और प्राधिकार के दुरूपयोग को निमंत्रित करने के लिए प्रभावी नहीं पाया गया;

अतः इस लिए भ्रष्टाचार को रोकने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तथा लोक सेवकों, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं, को दण्डित करने के लिए स्वतन्त्र और स्वायत लोकायुक्त की स्थापना करने के लिए पुनः अधिनियमित करना समीचीन है ।

वितीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, यदि अधिनियमित हों, तो राजकोष से लगभग 1.26 करोड रूपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय अंतर्वलित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 30 और 31 राज्य सरकार और लोक आयुक्त को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपने अपने नियम और विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य प्रकृति का है ।

भारत के संविधान के अनुछेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश ।

नस्ति संख्या : गृह (विज) ए (3)–1/2011

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012 की विषयवस्तु से अवगत होते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधासभा द्वारा विधेयक की पुरःस्थापना और विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

2012 का विधेयक संख्याक 26

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012 लोक सेवकों तथा लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों और अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकायुक्त को एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए **विधेयक** ।

(प्रेम कुमार धूमल)

मुख्य मन्त्री,हिमाचल प्रदेश ।

(ए. सी. डोगरा)

प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख :